प्रोटेम अध्यक्ष का सम्बोधन

षष्ठम् झारखण्ड विधान सभा के सभी नवनिर्वाचित माननीय सदस्यों का राज्य की सर्वोच्च पंचायत में हार्दिक अभिनन्दन और जोहार।

हम सभी के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है आज की तारीख से विधान सभा के नये अध्याय की शुरूआत हो रही है। सभा के इस सत्र में आज के दिन आप सभी माननीय सदस्यों को शपथ/प्रतिज्ञान का दायित्व माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा मुझे भारत के संविधान के अनुच्छेद–180 के अधीन सौंपा गया है। सभा सचिव बारी–बारी से इस हेतु निर्वाचित सदस्यों का नाम उनके क्षेत्र संख्या सहित पुकारेंगे और इसके उपरांत शपथ/प्रतिज्ञान की यह प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद –188 के अधीन निर्वाचित सदस्यों द्वारा पूरी की जायेगी।

माननीय निर्वाचित सदस्यों को मैं यह भी जानकारी देना चाहूँगा कि माननीय राज्यपाल महोदय ने झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–8 के उप नियम (1)के आलोक में विधान सभा अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए 10 दिसम्बर, 2024 की तिथि निर्धारित किया है।अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए माननीय राज्यपाल से जो संदेश प्राप्त हुआ है उसे सभा सचिव द्वारा पढ़ा गया है।

माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा अपने संदेश में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के जिस नियम का उल्लेख किया है उसके क्रम में विस्तृत सूचना आपको झारखण्ड विधान सभा सचिवालय द्वारा प्रेषित पत्र के माध्यम से भेज दी गयी है। अध्यक्ष का निर्वाचन के नामांकन संबंधी प्रपत्र कार्यसूची के साथ जारी कर दिया गया है। आप सभी की सुविधा के लिए मैं अध्यक्ष पद के नामांकन से संबंधित प्रक्रिया का विस्तार से उल्लेख कर देना चाहता हूँ :-

नियम-8 (1) अध्यक्ष का निर्वाचन उस तिथि को होगा जो राज्यपाल निश्चित करे और सचिव प्रत्येक सदस्य को उस तिथि की सूचना भेजेगा।

(2) इस प्रकार नियत तिथि के पूर्व दिन के मध्याह्न से पहले कोई भी सदस्य किसी भी प्रस्ताव को कि किसी अन्य सदस्य को सभा का अध्यक्ष चुना जाये सचिव को संबोधित लिखित रूप में सूचना दे सकेगा और उस सूचना का अनुमोदन एक तीसरा सदस्य करेगा तथा उसके साथ उस सदस्य का, जिसका नाम सूचना में प्रस्तावित किया जाये यह कथन संलग्न होगा कि निर्वाचित होने पर वह अध्यक्ष के रूप में कार्य करने को सहमत है।

परन्तु कोई सदस्य अपना स्वयं का नाम प्रस्तावित नहीं करेगा न उसका अपना नाम प्रस्तावित करने वाले प्रस्ताव का अनुमोदन करेगा और न ही एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तावित या अनुमोदित करेगा।

(3) कार्यसूची में जिस सदस्य के नाम पर कोई प्रस्ताव हो, वह पुकारे जाने पर प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकेगा या प्रस्ताव वापस ले सकेगा और अपना कथन उस बात तक ही सीमित रखेगा।

(4) जो प्रस्ताव प्रस्तुत तथा विधिवत् अनुमोदित हो गये हों,वे एक–एक करके उसी क्रम में रखे जायेंगे,जिस क्रम में कि वे प्रस्तुत किए गये हों और यदि आवश्यक हुआ तो विभाजन द्वारा विनिश्चित किए जायेंगे। यदि कोई प्रस्ताव स्वीकृत हो जाये तो पीठासीन व्यक्ति बाद के प्रस्तावों को रखे बिना घोषित करेगा कि स्वीकृत प्रस्ताव में प्रस्तावित सदस्य सभा का अध्यक्ष चुन लिया गया है।

माननीय निर्वाचित सदस्यगण अपना शपथ ग्रहण या प्रतिज्ञान करें इसके पूर्व मैं झारखण्ड के तमाम् वीर शहीदों के प्रति अपनी श्रद्धा निवेदित करता हूँ और यह कामना भी करता हूँ कि हम सभी मिल कर इन अमर शहीदों के सपनों के अनुरूप विकसित झारखण्ड बनाने में सहयोग करेंगे ।

माननीय सदस्यों की सुविधा के लिए आज सदन में संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं यथा हिन्दी,अंग्रेजी,संस्कृत,उर्दू,बांग्ला, संथाली, उड़िया तथा मैथिली के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा घोषित द्वितीय राजभाषा मगही,भोजपुरी,अंगिका,भूमिज,कुडुख(उराँव)मुण्डारी,हो,खड़िया, कुरमाली,खोरठा,नागपुरी एवं पंचपरगनिया में शपथ की व्यवस्था की गयी है।

अब सभा सचिव बारी –बारी से सदस्यों के नाम शपथ या प्रतिज्ञान के लिए पुकारेंगे। सदस्यगण शपथ/प्रतिज्ञान करते ही निर्धारित प्रपत्र पर हस्ताक्षर अंकित करने के साथ उनके सामने रखे गये शपथ पंजी पर भी अपना हस्ताक्षर अंकित करेंगे।

अब माननीय सदस्यों के शपथ/प्रतिज्ञान की प्रक्रिया आरम्भ की जाती है।